न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु॰नं 17/17 तारीख रजू 26/4/17

उनवान :- भगवानी देवी बनाम रघुनाथ वगैरह
इजरा-वाणी सैनपुर

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से देवेन्द्र कुमार शर्मा A.O. ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T. Act के तहत पेश किया। प्रस्तुत जमाबन्दी व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब कर दिनांक 17.5.17 को पेश हो।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

1351-57
26.4.17

17.5.17

प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं. 1 ता. 6 के परिवार सदस्य ने नोटिस लेने से इन्कार की रिपोर्ट तामील कराने के कार्मिक ने की है। अप्रार्थी नं. 7 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी नं. 1 ता. 6 भी उपस्थित नहीं हुए है। इनकी तामील मानी जाती है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी वकील ने अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से सीधे बहस करने का कथन किया। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। बहस सुनकर प्रकरण का अवलोकन किया गया। संक्षेप में प्रकरण इस

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

दिनांक	
	प्रकार है। सायलान भगवानी देवी एवं लखनबाई ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि ग्राम कमालपुरा की भूमि ख. नं. 2477 रकबा 1.90 है० एवं 2479 रकबा 0.50 है० कुल किता 2 कुल रकबा 2.40 है० मे सायलान नं. 1 भगवानी देवी व सायला नं. 2 लखनबाई का 1/3-1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा गैरसायल नं. 1 रघुनाथ का हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात की खातेदारी पूर्व मे कजोड, रामसिंह पि० किशन्या विं० तथा राजाराम जनक हरिसिंह पि० रामजीलाल, कलावती पुत्री रामजीलाल, धौली पत्नि रामजीलाल के नाम थी। उक्त खातेदारान द्वारा सायला एवं गैरसायल नं. 1 को उक्त आराजी का बेचान कर कब्जा करा दिया। उक्त आराजी रास्ते के सहारे खडी हिस्सों मे बटी हुई है। जिसमें तीनो खातेदारान रास्ते का उपयोग उपभोग कर सके तथा सायलान नं० 1 भगवानी देवी के हिस्से मे दक्षिण का हिस्सा है। गैरसायल नं. 2 ता 6, रघुनाथ, रमेश, गिरधारी, रामकेश, यादराम, संतोष लठैत एवं मुहमर्द टपचित है जो गैरसायल रघुनाथ के 1/3 हिस्से की खातेदारी का बेजा फायदा उठाकर सायला को अपनी आराजी से बेदखल करना चाहते हैं। जबकि उन्हे 1/3 हिस्से की आराजी के अलावा अन्य आराजी से कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। दावा दिनांक 21.4.2017 का

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

है कि गैरसायलान एकराय होकर ट्रोली में पत्थर लादकर
लाये और आराजी के बीचों बीच पत्थर डालने लगे। सायलान
द्वारा मना करने पर भी नहीं माने तथा कहने लगे कि या
तो हम बंटवारा करायेंगे नाहि तुम्हें काश्त करने देंगे।
इस कारण दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत
करना आवश्यक हुआ है। अतः गैरसायलान को ग्राम कमालपुरा
की भूमि ख.नं. 2477, 2479, मे प्रार्थीगण के हिस्से के
कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करने हेतु पाबंद
करें।

प्रार्थी वकील ने इस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को
ही दोहराया। तथा गैरसायलान बावजूद सूचना उप.
नहीं हुए नाहि उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।
मुताबिक जमाबंदी संवत 2071-2074 आराजी ख.नं.
2477, 2479 रकबा 2.40 है. मे सायलान नं. 1 भगवानी
देवी का 1/3 हिस्सा तथा सायलान नं. 2 लखनबाई का
1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। 1/3 हिस्सा गैरसायलान
1 रघुनाथ का है। मूल दावा तकासमा का पेश किया
है। दावा के निस्तारण होने तक गैरसायलान को
रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के
लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
सायलान स्वीकार किया जाता है तथा दावा के
निर्णय होने तक गैरसायलान रघुनाथ S/o गोपाल
रमेश, गिरधारी, रामकेश, यादराम पि. रघुनाथ व
संतोष पुत्र रामचरण जाति गूर्जर निवासीयान ग्राम

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा[भीम]

फर्द अहकाम

दिनांक	
	सेनपुर तहसील टोडाभीम को पाबन्द किया जाता है कि ग्राम कमालपुरा की भूमि खसरा नम्बर 2477 रकबा 1.90 है०, 2479 रकबा 0.50 है० कुल किता 2 कुल रकबा 2.40 है० में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। आराजी को नाकाबिल काश्त नहीं बनावें। सायलान को बेदखल नहीं करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को मिजानिब कार्ड जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।
	निर्णय आज दिनांक 17.5.17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	(जगदीश आर्य) उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज.

Scanned by CamScanner